श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी 4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक एफ:-03/39/शै0/2020-21 /पीएच.डी/ 607

दिनांक 20.09.2021

कार्यालयीय सूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकृत शोध छात्रों को नॉन-नेट फैलोशिप का भुगतान किया जाना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में नॉन-नेट फैलोशिप का भुगतान करने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का सम्बन्धित शोध छात्रों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित प्रपत्र के अनुसार अनुदान राशि वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिये प्रेषित की गयी है। अत: नॉन नेट फैलोसिप का भुगतान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही लागू किया जायेगा। तद्नुसार नॉन नेट फैलोशिप का भुगतान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पंजीकृत होने वाले नवीन शोध छात्रो तथा विगत तीन वर्षो में पंजीकृत शोध छात्रों के लिये नियमानुसार लागू होगी। पूर्व में पंजीकृत शोध छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान केवल शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि को संज्ञान में लेते हुये शेष शोध अवधि की देय राशि का भुगतान निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के उपरांत किया जायेगा।
2. नॉन नेट फैलोशिप का भुगतान केवल उन्ही शोध छात्रों को देय होगा जो अपना शपथ-पत्र एवं त्रैमासिक प्रगति विवरण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परिपत्र में पूर्ण कर जमा करेंगे।
3. नियमों के अन्तर्गत नॉन-नेट-फैलोशिप प्राप्त करने वाले छात्र को किसी अन्य सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों से छात्रवृत्ति/वेतन या अन्य किसी प्रकार की वृत्तियाँ प्राप्त करने की छूट नहीं होगी।
4. नॉन-नेट-फैलोशिप का भुगतान विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में नियमित रूप से पंजीकृत शोध छात्रों को ही देय होगा।
5. फैलोशिप का भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित प्रपत्र के अनुसार अनुदान राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये प्रेषित की गई है। एतदर्थ नॉन-नेट-फैलोशिप का भुगतान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया जायेगा। तद्नुसार नॉन-नेट-फैलोशिप का भुगतान शैक्षणिक-सत्र 2021-22 में पंजीकृत होने वाले नवीन शोधच्छात्रों तथा विगत तीन वर्षो में पंजीकृत शोध छात्रों के लिये नियमानुसार लागू किया जायेगा। फैलोशिप का भुगतान पंजीकरण तिथि से तीन वर्ष के भीतर की अवधि का शोध-कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के उपरांत ही किया जायेगा।
7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विद्यावारिधि उपाधि हेतु तथा नान-नेट-फैलोशिप संबंधित समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सभी शोध छात्रों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित शोध छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे नॉन-नेट फैलोशिप की प्राप्ति हेतु वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 25.09.2021 तक अनिवार्य रूप से शैक्षणिक विभाग में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि भुगतान प्रक्रिया हेतु सन्दर्भित प्रपत्र लेखा विभाग को प्रेषित किये जा सकें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय में जमा न कराने की स्थिति में सम्बन्धित शोध छात्र स्वयं उत्तरदायित्व होगा।

यह सूचना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी की जा रही है।

संलग्नक-प्रपत्र

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. समस्त पीठ प्रमुख
02. समस्त विभागाध्यक्ष
03. निदेशक आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा कुलानुशासक
04. उपकुलसचिव (परीक्षा/शैक्षणिक विभाग)